रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 456] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2014/भाद्र 7, 1936
No. 456] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2014/BHADRA 7, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 627(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 का इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 में.—

(क) भाग 'क', पैरा 3 के उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) किसी आस्ति का उपयोगी जीवन साधारणतया भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन से भिन्न नहीं होगा और किसी आस्ति की अवशिष्ट मूल्य लागत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो :

परंतु जहां कोई कंपनी भाग ग में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपयोगी जीवन अपनाती है या उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सीमा से भिन्न अवशिष्ट मूल्य का उपयोग करती है वहां अपने वित्तीय विवरण में ऐसी भिन्नता को प्रकट करना होगा और इस निमित्त तकनीकी सलाह द्वारा सम्यक् रूप से समर्थित औचित्य उपलब्ध कराना होगा" ;

(ख) भाग 'ग' के पश्चात् शीर्ष टिप्पणी में.—

(i) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4(क) अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवन संपूर्ण आस्ति के लिए है और जहां आस्ति के किसी भाग की लागत आस्ति की कुल लागत की तुलना में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष आस्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है वहां उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन पृथक रूप से आधारित किया जाएगा ।

(ख) 01 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के संबंध में उप-पैरा (क) के अधीन अपेक्षा स्वैच्छिक होगी तथा 01 अप्रैल, 2015 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्त वर्ष की बाबत वित्तीय विवरणों के लिए अनिवार्य होगी ।"

(ग) पैरा 7 के उप-पैरा (ख) में "में मान्य होगी" शब्दों के स्थान पर "मान्यता दी जा सकेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 17/60/2012-सीएल-V]]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-2 तारीख 01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होगी और उसे अधिसूचना संख्या का.आ. 237(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा (01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी) संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2014

G.S.R. 627(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend Schedule II of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

1. In Schedule II of the Companies Act, 2013,—

(a) in Part 'A', in paragraph 3, for sub-paragraph (i),the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(i) The useful life of an asset shall not ordinarily be different from the useful life specified in Part C and the residual value of an asset shall not be more than five per cent. of the original cost of the asset:

Provided that where a company adopts a useful life different from what is specified in Part C or uses a residual value different from the limit specified above, the financial statements shall disclose such difference and provide justification in this behalf duly supported by technical advice",.

(b) after Part 'C', under the heading Notes,—

(i) for paragraph 4 the following paragraph shall be substituted namely:—

"4(a) Useful life specified in Part C of the Schedule is for whole of the asset and where cost of a part of the asset is significant to total cost of the asset and useful life of that part is different from the useful life of the remaining asset, useful life of that significant part shall be determined separately.

(b) The requirement under sub-paragraph (a) shall be voluntary in respect of the financial year commencing on or after the 1st April, 2014 and mandatory for financial statements in respect of financial years commencing on or after the 1st April, 2015."

(c) in paragraph 7, in sub-paragraph (b) for the words "shall be recognized", the words "may be recognized" shall be substituted.

[F. No. A-17/60/2012-CL-V]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note: Schedule II of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 and was amended (with effect from 1st April, 2014) *vide* notification number S. O. 237(E), dated the 31st March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.